प्राक्कथन

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों- प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियों की लेखापरीक्षा समीक्षाओं और मूल्यांकनों के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। यह प्रतिवेदन निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित है:-

(i) अध्याय 1 कम्प्यूटर साफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स तथा अनुषंगियों, इस्पात तथा व्यापार के चयनित क्षेत्रों में चयनित कम्पनियों के निर्धारण पर एक व्यापक आधारित समीक्षा है

(ii) अध्याय 2 टी डी एस/टी सी एस योजनाओं के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा है

(iii) अध्याय 3 खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तियों के निर्धारण पर एक समीक्षा है

इस प्रतिवेदन में शामिल की गयी अभ्युक्तियों का 2005-2006 के दौरान और उन पूर्ववर्ती वर्षों में की गयी नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से चयन किया गया है जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका।